जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद हरदोई में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा एवं इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई०एस०ए०) द्वारा कराये गये जनजागरूकता कार्यों के भुगतान एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 21.02.2024 का कार्यवृत्त।

दिनांक 21.02.2024 को श्री मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, हरदोई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे–

1. जिलाधिकारी, हरदोई।	अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
3. जिला विकास अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
4. जिला समाजिक एवं वानिकी प्रभारी, हरदोई।	सदस्य।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई।	सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हरदोई।	सदस्य।
10. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई।	सदस्य।
11. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबन्धक, कलस्टर हेड एन0सी0सी0 लिमिटेड हरदोई, जिला समन्वयक जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी0पी0एम0यू0), सम्बन्धित इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी के प्रतिनिधि तथा एच0सी0एल0 फाउंडेशन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये–

1– जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) हरदोई द्वारा अवगत कराया कि जनपद में कुल 1902 राजस्व ग्राम हैं जिसमे से जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के अन्तर्गत 1865 राजस्व ग्रामों को अनुबन्धित संस्था एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद द्वारा प्रत्येक घर को क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) के माध्यम से आच्छादित किया जाना है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान तक 1865 राजस्व ग्रामों में से मात्र 336 राजस्व ग्रामों को ही शत्–प्रतिशत् आच्छादित किया गया है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं समस्त विकास खण्डों की प्रगति का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 07 विकास खण्ड ऐसे है जिनमें अधिकतम 16 प्रतिशत पेयजल गृह संयोजन कराये जाने हेतु शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं अनुबन्धित संस्था एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि ऐसे विकास खण्ड जिसमें अवशेष पेयजल गृह संयोजनों की संख्या कम है उन विकास खण्डों में से 03 विकास खण्ड हरियावां, मल्लावां, पिहानी को 03 मार्च, 2024 तक तथा विकास खण्ड बेहन्दर, हरपालपुर, कछौना व साण्डी को दिनांक 06 मार्च, 2024 तक शतप्रतिशत क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) से आच्छदित करते हुये संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।)

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुर्नस्थापना कार्यों की विशेष समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 9895.61 किमी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल 3972.95 कि0मी0 खण्डंजा, इण्टरलॉकिंग, बिटुमिन एवं सी0सी0 रोड काटी गयी है जिसके सापेक्ष 3179.75 कि0मी0 खण्डंजा, इण्टरलॉकिंग, बिटुमिन एवं सी0सी0 रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जो कुल काटी गयी सड़क का 80

AE D.A EE

प्रतिशत है एव शेष सडक की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य टेस्टिंग उपरान्त पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) एवं परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 को निर्देशित किया गया कि अवशेष स्थाई सडक पुर्नस्थापना का कार्य टेस्टिग की कार्यवाही पूर्ण करते हुये शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।)

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) हरदोई द्वारा अवगत कराया कि जनपद मे कुल 1902 राजस्व ग्राम हैं जिसमे से 1865 राजस्व ग्राम जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के अन्तर्गत अनुबन्धित संस्था एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद को आवंटित है तथा शेष 37 राजस्व ग्रामों में से 33 राजस्व ग्रामों को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा शतप्रतिशत क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) के माध्यम से आच्छादित किया जा चुका है तथा विकास खण्ड बेहन्दर के 02 राजस्व ग्राम हेवली व चांदू एवं विकास खण्ड कछौना के 02 राजस्व ग्राम बालामऊ व कटियामऊ में एच0सी0एल0 फाउंडेशन द्वारा सी0एस0आर0 मद मे पेयजल योजनाओ का निर्माण कार्य कराते हुये उक्त ग्रामो में क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) का कार्य कराया गया है। उक्त राजस्व ग्राम में अभी तक शत्–प्रतिशत क्रियाशील पेयजल गृह सयोजन (FHTC) का कार्य पूर्ण नही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित एच0सी0एल0 फाउडेशन के अधिकारियों को उक्त ग्रामों मे दिनांक 06.03.2024 तक शतप्रतिशत क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) से आच्छादित करते हुये अगली समीक्षा बैठक मे उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– ग्रुप ऑपरेशन हेड, एच0सी0एल0 फाउंडेशन हरदोई।)

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर जलकल परिसर मे मिट्टी भराव की आवश्यकता है एवं अभी तक जलकल परिसर मे मिट्टी भराव हेतु स्थल का चयन किया जाना शेष है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना प्रबधक एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल योजना से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सहयोग से मिट्टी निकालने हेतु स्थल का चयन करते हुये ऑनलाइन पोर्टल पर मिट्टी खुदाई किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करे जिससे मिट्टी खुदाई हेतु अनमति प्रदान की जा सके।

(कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम (ग्रामीण), परियोजना प्रबन्धक एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।)

2– आई0ई0सी0 गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्र सं0 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 30.11.2023 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में आई0ई0सी0 गतिविधियों के माध्यम से जन सामान्य मे और अधिक जागरूकता लाने के लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सूचीबद्ध आई0ई0सी0 संस्थाओ के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु प्रति राजस्व ग्राम रू0 10158.00 की दर से कुल रू0 19330674.00 जिलाधिकारी के लेखे में निम्न शर्तो के अधीन हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में खाता विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है –

I. जनपद मे प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सूचीबद्ध आई0ई0सी0 संस्थाओं (सूची संलग्न) द्वारा कराया जाएगा।

II. जनपद में कराये जाने वाले कार्यों में दुरावृत्ति को रोकने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य मुख्यालय स्तर/अन्य किसी विभागीय योजनाओं के माध्यम से न कराये गये हों।

III. कार्यों के सम्पादन में सभी सुसंगत शासनादेशों/विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं से पूर्व में कराये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। तदोपरान्त ही संलग्न सूची में दिये गये राजस्व ग्रामों हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त करते हुए गतिविधिया क्रियान्वित करायी जाएगी।

3	Community Contruibution	5	Monthly Woman Meeting.	40	120	436.33	22	9599.33
		6	Monthly Man & Woman Common Group Meeting.	40	120	436.33	7	3054.33
		7	Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event.	40	120	436.33	13	5672.33
4	Banner	8	Available Banner - 5 x 7 = 35 Balance Banner for deduction 280-35= 245 Amount = 69998.00 Deductable amount - 69998- [(6+5) * 142.86+(13+6) * 285.71 + (22+7+13) * 95.24}					58997.97
							TOTAL	109394.47

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि – रू0 109394.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि – रू0 963106.00

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बीजक पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपरोक्त क्रियाकलापों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से करा लिया गया है (सत्यापन आख्या संलग्न) एवं क्लस्टर से सम्बन्धित मा० जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुये जनजागरूकता सम्बन्धी बैठक/गोष्ठी पूर्ण करा ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल एवंस्वच्छता मिशन द्वारा प्रस्तुत इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी के उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी की सत्यापन आख्या का जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विधिवत परीक्षण कर इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी चेतना सेवा संस्थान, विलेज–कमौरा, पोस्ट–धमौरा, तहसील–मिलक, जिला–रामपुर, उ0प्र0 के 04 क्लस्टर, नवदुर्गा सेवा संस्थान, 288/145, आर्यानगर, नाका हिंडोला, लखनऊ के 02 क्लस्टर एवं शिक्षा भारती, 67, गायत्रीपुरम् (निकट अभिनव गर्ल्स इंटर कॉलेज) कुर्सी रोड, लखनऊ के 04 क्लस्टर के बीजकों को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित कर भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया।

आई०ई०सी०ए० कोऑर्डिनेटर,
डी०पी०एम०यू०,
हरदोई।

जिला प्रमन्वयक,
डी०पी०एम०यू०,
हरदोई।

खण्डीय लेखाकार,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।

सहायक अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।

सहायक अभियन्ता/सदस्य
लघु सिंचाई,
हरदोई।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई विभाग, हरदोई।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

प्रभागीय वनाधिकारी
जिला समाजिक एवं वानिकी प्रभाग/सदस्य
हरदोई।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

30/03/24
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
हरदोई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
हरदोई।